HARYANA VIDHAN SABHA

Bill No. 15 — HLA OF 2024

THE HARYANA VILLAGE COMMON LANDS (REGULATION) AMENDMENT BILL, 2024

A

BILL

further to amend the Haryana Village Common Lands (Regulation) Act, 1961.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Haryana Village Common Lands (Regulation) Amendment Act, 2024.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 16th August, 2024.

Amendment of section 2 of Punjab Act 18 of 1961.

2. After sub-clause (ii-a) of clause (g) of section 2 of the Haryana Village Common Lands (Regulation) Act, 1961 (hereinafter called the principal Act), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

"(ii-b) was shamilat deh and had been leased out, prior to the commencement of the Punjab Village Common Lands (Regulation) Rules, 1964 by the Collector under the Haryana Utilization of Lands Act, 1949 (East Punjab Act 38 of 1949) for a period of twenty years and the said land has been in continuous cultivating possession of the original lessee, transferee or his legal heir as per the revenue record on the date of commencement of this amendment Act;".

Amendment of section 3 of Punjab Act 18 of 1961.

3. In sub-section (2) of section 3 of the principal Act,-

(i) in clause (i), for the words, signs and brackets "under sub-clause (ii-a)", the words, signs and brackets "under sub-clauses (ii-a) and (ii-b)" shall be substituted;

(ii) in clause (ii),-

(a) for the sign "." existing at the end, the sign ";" shall be substituted; and

(b) the following clause shall be added, namely:-

"(iii) where any land has vested in Panchayat under this Act, but such land has been excluded from shamilat deh under sub-clause (ii-b) of clause (g) of section 2, all rights, title and interest of the Panchayat in such land, from the date of commencement of this amendment Act shall cease and all such rights, title and interest in such land shall vest in the

original lessee, transferee or his legal heir who is in cultivating possession as per the entries in the revenue records as on the date of commencement of this amendment Act subject to the payment of an amount to the Panchayat, as may be determined in accordance with such principles and in such manner, as may be prescribed by the Collector on an application by the said lessee, transferee or his legal heir.".

Amendment of section 5A of Punjab Act 18 of 1961.

4. After sub-section (1) of section 5A of the principal Act, the following sub-section shall be inserted, namely:-

"(1A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), a Panchayat may, with the prior approval of the State Government, transfer its non-cultivable land in shamilat deh by sale to the inhabitant of the village who has constructed on or before the 31st March, 2004, a house or part thereof alongwith open space upto twenty-five percent of the constructed area, both put together not exceeding five hundred square yards and not causing any obstruction to traffic and other public utilities and also not a land reserved for pond or any other water body or revenue rasta entered as such in revenue record, at the rate not less than the market rate, to be determined in such manner, as may be prescribed.".

Repeal and savings.

5. (1) The Haryana Village Common Lands (Regulation) Amendment Ordinance, 2024 (Haryana Ordinance No.5 of 2024), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or action taken under the principal Act, as amended by the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the principal Act, as amended by this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Whereas lands in shamilat deh were allotted on lease basis under the Haryana Utilization of Lands Act, 1949 for cultivation purpose. Even after expiry of lease period, these lessees remained in possession of the lands despite eviction orders were passed by various courts. The Hon'ble Supreme Court on 24.09.1986, in one of the matters, 'Bodhni Chaman Ex-servicemen Cooperative Tenants Farming Society Ltd. Etc. Versus State of Haryana and others' had observed that Government may acquire the lands and allot them to the petitioners on condition of their paying the price of the lands or allot another piece of land elsewhere to the petitioners considering their pitiable condition. However, the necessary rehabilitation measures could not be undertaken by the Government at that point of time. It has, therefore, been proposed by way of present amendment that such lands in shamilatdeh, which were allotted on lease basis for a period of 20 years under the Haryana Utilization of Lands Act, 1949 and the said land has been in continuous cultivating possession of the original lessee, transferee or his legal heir as per revenue record, is proposed to be excluded from the ambit of shamilat deh with immediate effect. It has also been proposed that the original lessee, transferee or his legal heir will have to pay an amount to the Gram Panchayat concerned, as may be determined by the Collector concerned on an application made by the occupant in such principle and manner as may be prescribed.

2. Though there is a provision in the Punjab Village Common Lands (Regulation) Rules, 1964 for regularization of an unauthorisedly constructed house on shamilat land upto 200 square yards but there are several instances where the persons have occupied and constructed their houses on more than 200 square yards land. If such unauthorised constructions are demolished to restore the land back to the Panchayats, it would not only cause hardship to such persons but may also lead to costly and time consuming litigation. Therefore, it has been proposed to transfer such land in shamilat deh by sale, to the inhabitants of the village, who have constructed their houses on or before 31st March, 2004, upto a maximum of 500 square yards including open space, at a rate not less than market rate.

Hence this Bill.

KRISHAN LAL PANWAR,
DEVELOPMENT AND PANCHAYATS MINISTER,
HARYANA.

Chandigarh:
The 5th November, 2024.

DR. SATISH KUMAR,
SECRETARY.

N.B.— The above Bill was published in the Haryana Government Gazette (Extraordinary), dated the 5th November, 2024, under proviso to rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

ANNEXURE

EXTRACT FROM THE HARYANA VILLAGE COMMON LANDS (REGULATIONS) ACT, 1961

X X X X X X

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) of section 4,—

(1) where any land has vested in a panchayat under the shamilat law, but such land, other than that excluded under sub-clause (ii-a) of clause (g) of section 2, has been excluded from shamilat deh as defined in clause(g) of section 2. all rights, title and interest of the panchayat in such land shall, as from the commencement of this Act, cease and such rights, title and interest shall be revested in the person or persons in whom they vested immediately before the commencement of the shamilat law; and the panchayat shall deliver possession of such land to such person or persons :

Provided that where a panchayat in unable to deliver possession of any such land on account of its having been sold or utilised for any of its purposes, the rights, title and interest of the panchayat in such land shall not so cease but the panchayat shall, notwithstanding anything contained in section 10, pay to the person or persons entitled to such land, compensation to be determined in accordance with such principles and in such manner as may be prescribed;

(ii) where any land has vested in a panchayat under this Act, but such land has been excluded from shamilat deh under sub-clause (ii-a) of clause (g) of section 2, all rights, title and interest of the panchayat in such land, from the date of allotment of such land by the Rehabilitation Department of the State Government, shall cease and all such rights, title and interest shall vest in the person or persons to whom the land so excluded has been allotted by the Rehabilitation Department of the State Government on or before the 9th day of July, 1985, subject to the condition that—

(a) any sum of money realised by the Rehabilitation Department of the State Government as result of allotment of such land; or

(b) where no money was realisable by the Rehabilitation Department of the State Government as a result of allotment of such land, the amount of compensation in respect of such land as determined under sub-section (3) by the Collector of the district in which such a land is situated,

shall be paid by the Rehabilitation Department of the State Government to the Development and Panchayats Department for onward disbursement to the panchayat to which such shamilat deh belonged.

11381–H.V.S.–H.G.P.,Pkl.

[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2024 का विधेयक संख्या 15 एच०एल०ए०

हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024

हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

(2) यह 16 अगस्त, 2024 से लागू हुआ समझा जाएगा।

2. हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (छ) के उप–खण्ड (ii–क) के बाद, निम्नलिखित उप–खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :– 1961 के पंजाब अधिनियम 18 की धारा 2 का संशोधन।

"(ii–ख) जो शामलात देह थी तथा पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) नियम, 1964 के प्रारम्भ से पूर्व, हरियाणा भूमि उपयोग अधिनियम, 1949 (1949 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 38) के अधीन कलक्टर द्वारा बीस वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दी गई थी और इस संशोधन अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि को राजस्व अभिलेख के अनुसार उक्त भूमि पर मूल पट्टेदार, अंतरिती या उसके विधिक वारिस का लगातार खेती करने का कब्जा रहा है;"।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (2) में,– 1961 के पंजाब अधिनियम 18 की धारा 3 का संशोधन।

(i) खण्ड (i) में, "उप–खण्ड (ii–क) के अधीन" शब्दों, चिह्नों तथा कोष्ठकों के स्थान पर, "उप–खण्ड (ii–क) और (ii–ख) के अधीन" शब्द, चिह्न तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) खण्ड (ii) में,–

(क) अन्त में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ";" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ख) निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात :–

"(iii) जहां कोई भूमि इस अधिनियम के अधीन पंचायत में निहित है, किन्तु ऐसी भूमि धारा 2 के खण्ड (छ) के उप–खण्ड (ii–ख) के अधीन शामलात देह से निकाली गई है, तो इस संशोधन अधिनियम

के प्रारम्भ की तिथि से, ऐसी भूमि में पंचायत के सभी अधिकार, हक तथा हित समाप्त हो जाएंगे तथा मूल पट्टेदार, अंतरिती या उसके विधिक वारिस के आवेदन पर कलक्टर द्वारा ऐसे सिद्धांतों के अनुसार तथा ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में यथा निर्धारित ऐसी राशि का पंचायत को भुगतान करने के अध्यधीन ऐसे सभी अधिकार, हक तथा हित उक्त पट्टेदार, अंतरिती या उसके विधिक वारिस, जिसका इस संशोधन अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि को राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियों के अनुसार खेती करने का कब्जा रहा है, में निहित होगा।"।

1961 के पंजाब अधिनियम 18 की धारा 5क का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 5क की उप-धारा (1) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात :-

"(1क) उप-धारा (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, कोई भी पंचायत, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, शामलात देह में स्थित अपनी गैर-कृषि योग्य भूमि, जिस पर गांव के किसी निवासी द्वारा 31 मार्च, 2004 को या उससे पूर्व मकान का निर्माण किया गया है, निर्मित क्षेत्र के पच्चीस प्रतिशत तक के खुले स्थान सहित जो दोनों को मिलाकर पांच सौ वर्ग गज से अधिक न हो और जो यातायात और अन्य जन उपयोगिताओं को कोई बाधा नहीं पंहुचा रहा है और तालाब या किसी अन्य जल निकाय या राजस्व रास्ता, जो ऐसे रूप में राजस्व अभिलेख में प्रविष्ट है, के लिए आरक्षित की गई भूमि भी नहीं है, उपरोक्त निवासी को ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में निर्धारित की जाने वाली ऐसी दर, जो बाजार दर से कम न हो, पर विक्रय द्वारा अंतरित कर सकती है।"।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

5. (1) हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2024 (2024 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 5), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

जबकि शामलात देह में स्थित भूमि हरियाणा भूमि उपयोग अधिनियम, 1949 के तहत खेती के उद्देश्य से पट्टे के आधार पर आवंटित की गई थी। पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद भी, विभिन्न न्यायालयों द्वारा बेदखली के आदेश पारित किए जाने के बावजूद ये पट्टेदार भूमि पर काबिज रहे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 24.09.1986 को एक मामले में, 'Bodhni Chaman Ex-servicemen Cooperative Tenants Farming Society Ltd. Etc. Versus State of Haryana and others' में कहा था कि सरकार भूमि का अधिग्रहण कर सकती है और याचिकाकर्ताओं को भूमि की कीमत चुकाने की शर्त पर आवंटित कर सकती है या याचिकाकर्ताओं की दयनीय स्थिति को देखते हुए उन्हें कहीं और भूमि का एक और टुकड़ा आवंटित कर सकती है। हालाँकि, उस समय सरकार द्वारा आवश्यक पुनर्वास उपाय नहीं किए जा सके। इसलिए, वर्तमान संशोधन के माध्यम से यह प्रस्तावित किया गया है कि शामलात देह में ऐसी भूमि, जो हरियाणा भूमि उपयोग अधिनियम, 1949 के तहत 20 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे के आधार पर आवंटित की गई थी और उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार मूल पट्टेदार, हस्तांतरिती या उसके कानूनी उत्तराधिकारी के निरंतर खेती योग्य कब्जे में रही है, को तुरंत प्रभाव से शामलात देह के दायरे से बाहर करने का प्रस्ताव है। यह भी प्रस्तावित किया गया है कि मूल पट्टेदार, हस्तांतरिती या उसके कानूनी उत्तराधिकारी को संबंधित ग्राम पंचायत को एक राशि का भुगतान करना होगा, जैसा कि संबंधित कलेक्टर द्वारा अधिभोगी द्वारा किए गए आवेदन पर ऐसे सिद्धांत और तरीके से निर्धारित किया जा सकता है।

2. हालांकि पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) नियमावली, 1964 में 200 वर्ग गज तक की शामलात भूमि पर अनधिकृत रूप से निर्मित घर के नियमितीकरण के लिए एक प्रावधान है, लेकिन ऐसे कई उदाहरण हैं जहां व्यक्तियों ने 200 वर्ग गज से अधिक भूमि पर कब्जा कर लिया है और अपने घरों का निर्माण किया है। यदि पंचायतों को भूमि वापस लौटाने के लिए ऐसे अनधिकृत निर्माणों को ध्वस्त किया जाता है, तो इससे न केवल ऐसे व्यक्तियों को कठिनाई होगी, बल्कि इससे महंगी और समय लेने वाली मुकदमेबाजी भी हो सकती है। इसलिए, शामलात देह में ऐसी भूमि को गांव के निवासियों को, जिन्होंने 31 मार्च, 2004 को या उससे पहले अपने घरों का निर्माण किया है, अधिकतम 500 वर्ग गज तक खुली जगह सहित, बाजार दर से कम दर पर बिक्री द्वारा हस्तांतरित करने का प्रस्ताव किया गया है।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

कृष्ण लाल पंवार,
विकास एवं पंचायत मंत्री,
हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 5 नवम्बर, 2024

डॉ.सतीश कुमार,
सचिव।

अवधेय : उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 5 नवम्बर, 2024 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया गया था।

अनुबन्ध

हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 से उद्धरण

X X X X X X

(2) धारा 4 की उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी,–

(i) जहां कोई भूमि शामलात विधि के अधीन किसी पंचायत में निहित है, किन्तु ऐसी भूमि, धारा 2 के खण्ड (छ) के उप–खण्ड (ii) के अधीन निकाली गई भूमि से भिन्न है, धारा 2 के खण्ड (छ) में यथा परिभाषित शामलात देह से निकाली गई है, ऐसी भूमि में पंचायत के सभी अधिकार, हक तथा हित इस अधिनियम के प्रारंभ से समाप्त हो जाएंगे तथा ऐसे अधिकार, हक तथा हित ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों में पुनः निहित हो जाएंगे जिनमें वे शामलात विधि के प्रारंभ से तुरन्त पूर्व निहित थे ; तथा पंचायत ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को ऐसी भूमि का कब्जा देगी :

परन्तु जहा पंचायत अपने प्रयोजनों में से किसी के लिए उसके (भूमि) बेचे जाने अथवा उपयोग किए जाने के कारण किसी ऐसी भूमि का कब्जा देने में असमर्थ हो जाती है, वहां ऐसी भूमि में पंचायत का अधिकार, हक तथा हित इस प्रकार समाप्त नहीं हो जाएगा किन्तु पंचायत धारा 10 में दी गई किसी बात के होते हुए भी यथा विहित ऐसे सिद्धांतों के अनुसार तथा ऐसी रीति में निर्धारित किए जाने वाले प्रतिकर का, ऐसी भूमि के हकदार व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को, भुगतान करेगी ;

(ii) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई भूमि पंचायत में निहित कर दी गई है, किन्तु ऐसी भूमि धारा 2 के खण्ड (छ) के उपखण्ड (ii–क) के अधीन शामलात देह से निकाल ली गई है, वहा राज्य सरकार के पुनर्वास विभाग द्वारा ऐसी भूमि के आबंटन की तिथि से, ऐसी भूमि में पंचायत के सभी अधिकार, हक तथा हित समाप्त हो जाएंगे तथा ऐसे सभी अधिकार, हक तथा हित ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों में निहित हो जाएंगे जिनको इस प्रकार निकाली गई भूमि निम्नलिखित शर्त के अधीन रहते हुए, 1985 के जुलाई के 9वें दिन को या उससे पूर्व राज्य सरकार के पुनर्वास विभाग द्वारा आबंटित की गई–

(क) ऐसी भूमि के आबंटन के फलस्वरूप राज्य सरकार के पुनर्वास विभाग द्वारा वसूल किए गए धन की कोई राशि ; या

(ख) जहां ऐसी भूमि के आबंटन के फलस्वरूप राज्य सरकार के पुनर्वास विभाग द्वारा कोई धन वसूल नहीं किया गया था, उस जिले जिसमें भूमि स्थित थी के कलक्टर द्वारा उपधारा (3) के अधीन ऐसी भूमि के संबंध में यथानिर्धारित प्रतिकर की राशि,

उस पंचायत, जिससे ऐसी भूमि संबंधित थी, को आगे संवितरण के लिए, राज्य सरकार के पुनर्वास विभाग द्वारा विकास तथा पंचायत विभाग को भुगतान की जाएगी।